प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

8 अगस्त 2023

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2023 की प्रतिवेदन सं.11 – संघ सरकार (सिविल) में सितम्बर 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि को शामिल करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा नियंत्रित आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लक्ष्य जनसंख्या के गरीब एवं अरक्षित वर्ग की गौण तथा तृतीयक देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए ₹पांच लाख प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना, जनसंख्या के गरीब एवं अरक्षित वर्ग हेतु सामर्थ्य, पहुँच तथा देखभाल की गुणवत्ता का सुधार करना है।

मुख्य निष्कर्षों का सारांश निम्नानुसार दिया गया है:

- **लाभार्थी की पहचान तथा पंजीकरण**
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अभिलेखों के अनुसार 7.87 करोड़ परिवार पंजीकृत किए गए थे जो 10.74 करोड़ लक्षित परिवारों का 73 *प्रतिशत* था (नवम्बर 2022)।
  - पर्याप्त अधिप्रमाणन नियंत्रणों के अभाव में लाभार्थी डाटाबेस में त्रुटियां अर्थात् अमान्य नाम, अवास्तविक जन्म तिथि, दोहरी पीएमजेएवाई आईडी, एक परिवार में परिवार के सदस्यों का अवास्तविक आकार आदि पाई गई थीं।
  - अपात्र परिवार पीएमजेएवाई लाभार्थियों में पंजीकृत पाए गए थे तथा योजना के अधीन ₹0.12 लाख से ₹22.44 करोड़ के बीच उन्होंने लाभ उठाया है।
- **अस्पताल नामिकायन तथा प्रबंधन**

- कुछ नामिकागत स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं (ईएचसीपी) ने न तो सहायता प्रणाली तथा अवसंरचना के न्यूनतम मानदण्ड को पूरा किया था और न ही दिशा-निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित गुणवत्ता मानकों तथा मानदण्डों का अनुपालन किया था।
- लाभार्थियों से नामिकागत ईएचसीपी में उनके उपचार हेतु शुल्क लिया गया था जिसका परिणाम लाभार्थियों के जेबसे बाहर व्यय में वृद्धि में हुआ।

❖ **दावा प्रबंधन** s

- कुछ राज्य दावों को संसाधित करने के लिए अपने स्वयं के आईटी प्लेटफार्म का उपयोग करते हैं, और बाद में पीएमजेएवाई की लेन-देन प्रबंधन प्रणाली में प्रविष्टि की गई जिसके परिणामस्वरूप राज्य विशिष्ट योजनाओं के लाभार्थियों के साथ पीएमजेएवाई के लाभार्थियों की अतिव्याप्ति होने की संभावना पैदा हुई।
- चार राज्यों में, ईएचसीपी को ₹57.53 करोड़ की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।
- मृत्यु के मामलों में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों (एसएचए) से मृत्यु सारांश प्राप्त किए बिना तथा कई राज्यों में मृत्यु दर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त किए बिना ही भुगतान किए गए थे।
- ग्यारह राज्यों/यूटी में अपर्याप्त अधिप्रमाणन जांच जैसे कि पूर्व-प्राधिकरण से पहले दाखिला, रोगी की छुट्टी के बाद सर्जरी, दावों के प्रस्तुतीकरण से पूर्व भुगतान, अनुपलब्धता/अमान्य तिथियां तथा अन्य प्रविष्टियां आदि पाई गई थीं।

❖ **वित्तीय प्रबंधन**

- 2018-19 के दौरान, एनएचए ने संबंधित राज्यों द्वारा अग्रिम शेयर के निर्गमन को सुनिश्चित किए बिना आठ राज्यों को ₹185.60 करोड़ की राशि का अनुदान जारी किया।
- एनएचए ने पिछले वर्ष के शेषों तथा अग्रिम शेयर पर विचार किए बिना **आन्ध्र प्रदेश** (₹8.37 करोड़) तथा **मिजोरम** (₹10.86 करोड़) का अधिक अनुदान जारी किया।
- सात एसएचए ने ₹50.61 करोड़ के अनुदान का एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को विपथन किया। 20 एसएचए में ₹98.98 करोड़, ₹128.13 करोड़ तथा ₹139.67 करोड़ का प्रशासनिक अनुदान क्रमश: 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 की समाप्ति पर अव्ययित रहा। 10 एसएचए ने अव्ययित अनुदानों पर उनके द्वारा अर्जित ₹22.17 करोड़ के ब्याज का एनएचए को प्रेषण नहीं किया था।
- छ: राज्यों/यूटी में ₹458.19 करोड़ बीमा कम्पनियों से वसूली योग्य थे। **पश्चिम बंगाल** राज्य जनवरी 2019 में पीएमजेएवाई से हट गया था परंतु एनएचए को ₹31.28 करोड़ वापस नहीं किए थे।

- पीएफएमएस के माध्यम से व्यय प्रवाह पता लगाने हेतु भारत सरकार के अनुदेशों का एनएचए तथा एसएचए द्वारा पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया गया था।

❖ निगरानी तथा शिकायत निवारण

- पांच राज्यों/यूटी में एसएचए द्वारा जिला कार्यान्वयन इकाइयों (डीआईयू) का गठन नहीं किया गया था। 22 राज्यों/यूटी में एसएचए तथ डीआईयू में विभिन्न पदों पर जनशक्ति की कमी पाई गई थी। तीन राज्यों/यूटी में, शिकायत निवारण समितियों (एसजीआरसी) का लगभग एक वर्ष तक के विलम्ब से गठन किया गया था।
- 37,903 शिकायतों में से केवल 3718 शिकायतों (9.80 *प्रतिशत*) का प्रतिवर्तन काल के भीतर निवारण किया गया था तथा 33,100 शिकायतों (87.33 *प्रतिशत*) का प्रतिवर्तन काल के बाद निवारण किया गया था जबकि 1,085 शिकायतें निवारण हेतु प्रक्रियाधीन थी।
- चार राज्यों/यूटी में धोखाधड़ी-रोधी प्रकोष्ट, आठ राज्यों/यूटी में दावा समीक्षा समितियों तथा 11 राज्यों/यूटी में मृत्यु दर एवं रूग्णता समीक्षा समितियों का गठन नहीं किया गया था। **असम** तथा **झारखण्ड** में, 13 अस्पताल में कदाचार में शामिल थे फिर भी इन अस्पतालों के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2023 की प्रतिवेदन सं.11 – संघ सरकार (सिविल) - आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर प्रेस विज्ञप्ति

संक्षिप्त विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में, सितम्बर 2018 से मार्च 2021 की अवधि को शामिल करके, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एवी-पीएमजेएवाई) के परिणाम शामिल हैं।

आयुष्मान भारत 23 सितम्बर 2018 को प्रमोचित हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में अनुशंसित सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जो सभी आयु के सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य एवं कल्याण के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति की परिकल्पना करती है।

आयुष्मान भारत में दो परस्पर संबंधित घटक अर्थात् (i) स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्र तथा (ii) प्रधान मंत्री जन अरोग्य योजना शामिल हैं।

आयुष्मान भारत का प्रथम घटक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उप-केन्द्रों को परिवर्तित करते हुए स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों का सृजन है। यह आरोग्य एवं स्वास्थ्य संवर्धन पर ध्यान देने, दवाओं एवं निदानों को समुदाय के निकट पहुंचाने सहित एक विस्तृत सीमा में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को उपलब्ध कराने पर केन्द्रित करने में सक्षम होंगे। इसका उद्देश्य दिसम्बर 2022 तक 1,50,000 एचडब्ल्यूसी स्थापित करना है ताकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को सुगम बनाया जाए तथा जेब-खर्च को कम किया जा सके। 30 नवम्बर 2022 तक 1,31,150 एचडब्ल्यूसी कार्यात्मक थे।

आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) का द्वितीय घटक प्रतिवर्ष प्रत्येक परिवार को द्वितीय एवं तृतीय देखभाल वाली अस्पताल में भर्ती सेवाओं के लिए ₹5 लाख तक कवर करते हुए स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करता है। पीएमजेएवाई, सेवा के बिन्दु पर लाभार्थियों को नकद रहित व कागजरहित सेवाओं के लिए पहुँच उपलब्ध कराता है।

10.74 करोड़ से अधिक परिवारों के लिए यह योजना सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (एसईसीसी-2011) के वंचन और व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य गरीब एवं अरक्षित आबादी के जेब-खर्च में कमी करना है। जनवरी 2022 में जीओआई ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) डाटा के आधार पर लाभार्थी आधार का 12 करोड़ परिवारों तक विस्तार किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के अभिलेखों के अनुसार 7.87 करोड़ परिवार पंजीकृत किए गए थे जो 10.74 करोड़ लक्षित परिवारों का 73 *प्रतिशत* था (नवम्बर 2022)।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2023 की प्रतिवेदन सं.11 – संघ सरकार (सिविल) - आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर प्रेस विज्ञप्ति

मुख्य शब्द

शब्द	संक्षेपाक्षर
आयुष्मान भारत	एबी
आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	एबीएनएचपीएम
अतिरिक्त डेटा ड्राइव संग्रह	एडीसीडी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता	एआई
एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफ़ेस	एपीआई
प्रमाणीकरण सेवा एजेंसी	एएसए
भारतीय मानक विज्ञापन परिषद	एएससीआई
मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता	एएसएचए
प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी	एयूए
व्यापारिक बुद्दिमता	बीआई
लाभार्थी पहचान प्रणाली	बीआईएस
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	सीएजी
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सीईओ
दावा कार्यकारी	सीईएक्स
केंद्रीय शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली	सीजीआरएमएस
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	सीएचसी
दावा पैनल डॉक्टर	सीपीडी
व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	सीपीएचसी
कॉल रिकॉर्डिंग	सीआर
कॉमन सर्विस सेंटर	सीएससी
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	डीएआरपीजी
जिला नामिकायन समिति	डीईसी
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	डीएचआर
जिला कार्यान्वयन इकाई	डीआईयू
लोक शिकायत निदेशालय	डीपीजी
डेटा वेयरहाउस	डीडब्ल्यूएच
नामिकागत स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता	ईएचसीपी
इलेक्ट्रॉनिक अपने ग्राहक को जानो	ईकेवाईसी
धोखाधड़ी विश्लेषणात्मक नियंत्रण और ट्रैकिंग प्रणाली	एफएसीटीएस
सरकारी सामुदायिक क्लाउड	जीसीसी
स्वास्थ्य लाभ पैकेज	एचबीपी
अस्पताल नामिकायन मॉड्यूल	एचईएम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री	एचएफएम
परिवार	एचएच

घरेलू पहचान संख्या	एचएचआईडी
अस्पताल सूचना प्रणाली	एचआईएस
मानव संसाधन	एचआर
स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र	एचडब्ल्यूसी
सूचना, शिक्षा और संचार	आईईसी
भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण	आईएचडीएस
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण	आईआरडीएआई
कार्यान्वयन सहायता एजेंसी	आईएसए
सूचान प्रौद्योगिकी	आईटी
इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस	आईवीआर
अपने ग्राहक को जानो	केवाईसी
चिकित्सा सलाह के सापेक्ष छुट्टी/चिकित्सा सलाह के सापेक्ष डिस्चार्ज	एलएएमए/डीएएमए
अस्पताल में चिकित्सा समन्वयक	एमईडीसीओ
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	एमओएचएफडब्ल्यू
ग्रामीण विकास मंत्रालय	एमओआरडी
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	एमओएसडीई
समझौता ज्ञापन	एमओयू
संसद सदस्य	एमपी
अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड	एनएबीएच
राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई/राज्य धोखाधड़ी रोधी इकाई	एनएएफयू/ एसएएफयू
गैर संचारी रोग	एनसीडी
राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड	एनसीजी
राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन	एनडीएचएम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण	एनएचए
राष्ट्रीय स्वास्थ्य दावा मंच	एनएचसीपी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	एनएचपीएम
राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन भंडार	एनएचआरआर
राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं	एनएचएस
राष्ट्रीय नवाचार त्वरक	एनआईए
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर क्लीनिकल एक्सेलेंस	एनआईसीई
राष्ट्रीय पहचान संख्या	एनआईएन
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण	एनपीपीए
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम	एनएसडीसी
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय	एनएसएसओ
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन/रीडर	ओसीआर
जेब खर्च से बाहर	ओओपीई
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	पीएचसी
व्यक्तिगत पहचान की जानकारी	पीआईआई

प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र	पीएमएएम
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	पीएम-जेएवाई
प्रधानमंत्री कार्यालय	पीएमओ
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन	पीएमआरएसएसएम
पूर्व-प्राधिकरण पैनल डॉक्टर	पीपीडी
जन संपर्क	पीआर
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	पीएसयू
भारतीय गुणवत्ता परिषद	क्यूसीआई
जोखिम मूल्यांकन, पहचान और विश्लेषणात्मक रिपोर्टिंग	राडार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम)	आरएसबीवाई
उप केंद्र	एससी
अनुसूचित जाति	एससी
वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना	एससीएचआईएस
सतत विकास लक्ष्य	एसडीजी
राज्य नामिकायन समिति	एसईसी
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना	एसईसीसी
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण	एसएचए
प्रणाली समाकलक	एसआई
लघु संदेश सेवा	एसएमएस
अनुसूचित जनजाति	एसटी
बदलाव का समय	टीएटी
लेनदेन प्रबंधन प्रणाली	टीएमएस
तृतीयक प्रशासक	टीपीए
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज	यूएचसी
सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहचानकर्ता	यूएचआईडी
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	यूआईडीएआई
विशिष्ट अनुरोध संख्या	यूआरएन
संघ शासित क्षेत्र	यूटी
ग्राम स्तरीय उद्यमी	वीएलई
विश्व स्वास्थ्य संगठन	डब्ल्यूएचओ

SS/TT/61-23